

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 मार्च 2021—चैत्र 3, शक 1943

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 2021

क्र. एफ-35-03-2021-दो-सी-2.—राज्य शासन, एतद्वारा 55—दमोह विधान सभा उप निर्वाचन 2021 के लिये निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों की सेवाएं शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28(क) के लिये नामांकित अधिकारी माना जावेगा:—

1. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल.
2. पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ निर्वाचन कार्य से जुड़े पुलिस मुख्यालय के अधिकारीगण.
3. अति. पुलिस महानिदेशक/जोनल पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, सागर.
4. पुलिस अधीक्षक, जिला दमोह व उनके अधीनस्थ निर्वाचन कार्य में लगे पुलिस अधिकारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रीति यादव, उपसचिव.